उपायुक्त का न्यायालय,कोडरमा

कन्फिरकेशन अपील नं0-33/2015

सुरेन्द्र कुमार मेहता बनाम झारखण्ड राज्य।

आदेश

07.9.16

अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार मेहता पिता बद्री मेहता, ग्राम-कुटीपिसी, पद्मा ओ0पी0, थाना-बरही, जिला हजारीबाग द्वारा Indian Forest ACt की धारा 52 A के अन्तर्गत कन्फिरकेशन अपील दायर किया गया है। कन्फिरकेशन केस नं0-72/2014 राज्य बनाम सुरेन्द्र कुमर मेहता में दिनांक 05-8-2015 को को प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उक्त अपील दायर की गई है।

संक्षिप्त में मामला निम्नवत् है,

दिनांक 21-5-2014 को चन्दवारा पुलिस स्टेशन के अवर निरीक्षक जगदीश प्रसाद कैथल को पैट्रोलिंग ड्यूटी के समय सूचना मिली कि एक सुमो एवं एक बारह चक्का ट्रक हजारीबाग की तरफ से आ रही है जिसपर अवैध कोयला लदा हुआ है। दोनो वाहनों को रोककर चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास पोड़ा कोयला से संबंधित कोई चालान या कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। गिरफ्तार ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि यह कोयला कुजू से लोड कर ला रहे है और ट्रक के मालिक सुरेन्द्र मेहता है। सुरेन्द्र मेहता द्वारा पुलिस को बताया गया कि यह कोयला कुजू के जंगल से खोद कर लाया गया है जिसे रजौली ले जाना है। पुलिस अधीक्षक, कोडरमा के ज्ञापांक 1008 दिनांक 11-7-2014 द्वारा राज्यसात की कार्रवाई करने का अनुरोध वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमडल से किया गया। तत्पश्चात वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बारह चक्का ट्रक संख्या - JH 02AB 1744 और पोड़ा कोयला को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

C. CN+ 274 29.9.16

अपीलार्थी का कहना है कि पोड़ा कोयला वन क्षेत्र से नहीं खोदा गया था अतः Indian Forest ACt की धारा 30 के तहत जप्ती की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा लक्ष्मी कोल ट्रेडर्स का परमिट (चालान) प्रस्तुत किया गया। उक्त परमिट (चालान) की जॉच वाणिज्य कर उपायुक्त, हजारीबाग अंचल हजारीबाग से कराई गई। उन्होन अपने पत्रांक 544 दिनांक 25-5-2016 से प्रतिवेदित किया है कि, "सचिव सह आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्र संख्या-वाकर/कम्प्यू/09/2012-5241/रांची दिनांक 25-9-2013 द्वारा Online जेवैट 504 पी दिनांक 17-10-2013 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जिसके अनुसार Manually निर्गत रोड परमिट (चालान) 16-10-2013 तक ही वैध है। उन्होने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परमिट (चालान) को अवैध प्रतिवेदित किया है।

अपर लोक अभियोजक, कोडरमा द्वारा लिखित जवाब दाखिल करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि,

1. अपीलार्थी ने निश्चित तौर पर वन अपराध किया है। आरोप सामान्य नहीं है। पोड़ा कोयला बिना कागजात के अवैध रूप से सीमेन्ट के बोरे में ट्रक पर पकड़ा गया है।

Scanned with CamScanner

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा द्वारा तथ्य और परिस्थितियों का सही आकलन कर वन अधिनियम की धारा 33 के तहत दोषी पाते हुए राज्यसात की कार्रवाई की है।

3. पकड़े गये अभियुक्त द्वारा अपने बयान में कहा गया कि कोयला कुजू के जंगल से खोद कर लाया गया है। कच्चा कोयला को जंगल में जलाकर पोड़ा कोयला बनाया जाता है। जंगल से कच्चा कोयला खोद कर उसे पोड़ा कोयला बनाया गया जो वन उत्पाद (Forest Produce) है। अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा की गयी कार्रवाई सही है।

4. अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में कार्यवाही के दौरान लक्ष्मी कोल ट्रेडर्स का परमिट (चालान) की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जिसे सत्यापन हेतु संबंधित कोल कम्पनी को भेजा गया; किन्तु उक्त कम्पनी में किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया और बिना किसी प्राप्ति के यह वापस आ गया। जब गाड़ी पकड़ी गयी तो अभियुक्त के पास कोई कागजात नहीं थी; बाद में लक्ष्मी कोल ट्रेडर्स का परमिट (चालान) प्रस्तुत किया गया जो गलत तरीके से बनाया गया प्रतीत होता है।

5. भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अनुसार बिना किसी वैध कागजात/ अनुज्ञप्ति के कोयला खोदना और उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना किसी वैध ट्रांजिट परमिट के कोयला का परिवहन (Transport) अवैध है।

6. अपीलार्थी के द्वारा पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कोयला से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया गया। अतः यह माना जायेगा कि कोयला चोरी का है। अभियुक्तों के द्वारा खुद कार्यवाही में कहा गया कि यह कोयला कूजू के जंगल से खोदा गया है।

7. अभियुक्तो के द्वारा भा0 द0 वि0 की धारा 414 एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत अपराध किया गया है। अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा कोयला और ट्रक के राज्यसात की कार्यवाही बिल्कुल सही है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा Bihar Forest Mannual का अवलोकन किया गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को जायज और विधि सम्मत बताया है। अपीलार्थी द्वारा जप्ती के समय कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में गलत तरीके से बनवा कर परमिट (चालान) प्रस्तुत किया, जिसे वाणिज्य कर उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा जॉच में फर्जी प्रतिवेदित किया गया है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या––12/2014 में पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा बारह चक्का ट्रक संख्या– JH 02AB 1744 और पोड़ा कोयला को मुक्त करने के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। पारित आदेश की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल कोडरमा को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।

Scanned with CamScanner